ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(4): 19-25
www.allresearchjournal.com
Received: 13-02-2022
Accepted: 16-03-2022

डॉ. अम्बुज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस.बी.ए.एन. कॉलेज, दरहेटा–लारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. अम्बुज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस.बी.ए.एन. कॉलेज, दरहेटा–लारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

भारतीय इतिहास के पन्नों में राजधोबी जातिः एक अध्ययन

डॉ. अम्बुज कुमार

DOI: https://doi.org/10.22271/allresearch.2022.v8.i4a.9618

सारांश
राजधोबी का शाब्दिक अर्थ राजा का कपड़ा धोने वाले समूहों से है, अर्थात् राजा + धोबी = राजधोबी। इन्हें राजधोब भी कहा जाता है, अर्थात् राजा + धोब = राजधोब। यह समुदाय मूलरूप से धोबी जाति ही है, जिसका मुख्य कार्य, राज परिवार के कपड़े धोने, रंगने, इस्त्री करने से संबंधित रहा है। कालान्तर में, अंग्रेजों के आने के बाद एवं मिथिला के राजतंत्र व्यवस्था संकट में होने के फलस्वरूप, इनके व्यवसायों में कुछ परिवर्तन हुआ, और ये लोग चटाई बुनने, मजदूरी करने, पशुपालन (भैंस, बकरी), और कुछ लोग कोशी नदी के तट पर दरभंगा महाराज के निर्जन भूमि पर खेती एवं खेतिहर मजदूर का काम करने लगे। ये लोग शूद्र वर्ण (Shudra Varnas) व निम्न जाति समूह के हैं, जो धोबी की उपजाति है, तथा कश्यप गोत्र के मानने वाले हैं।

कूटशब्दः धोबी, राजधोबी, इतिहास, कृषक–मजदूर, दरभंगा महाराज

प्रस्तावना
भारतीय जाति प्रथा एक जटिल संस्था है, और कई शताब्दियों के अनुसंधान के पश्चात् भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस अनोखी सामाजिक संस्था का उद्भव और विकास किस रूप में हुआ। वेद, महाकाव्य, पुराण आदि के लेखकों से लेकर यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने इसके बारे में अध्ययन किए है, फिर भी वर्ण (भारतीय समाज चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था) किस प्रकार बदल कर जातियों (वर्तमान में हमारे देश में 4635 समुदाय हैं) की अवस्था में आये और एक ही जाति धोबी से किस प्रकार उपजाति राजधोबी बन गयी ? यह आज भी शोध का विषय है।

राजधोबी का शाब्दिक अर्थ राजा का कपड़ा धोने वाले समुदायों से है, इन्हें राजधोब भी कहा जाता है। इसके पूर्वज पहले राजा–महाराजा का कपड़ा धोने और इस्त्री करने का कार्य करते थे, इसी कारण इनका नाम राजधोबी पड़ा। यह जाति बिहार के मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया एवं पूर्णिया जिलों में ही पाई जाती है। जिनकी कुल जनसंख्या वर्त्तमान में लगभग 16 हजार है। जबकि तथ्य संकलन के क्रम में प्राप्त अभिलेखों के आधार पर 1801–1810 ई० में 2000 एवं 1872 ई० में 3040 व्यक्ति थे।

अतीत में, इस जाति की मूल निवास स्थल सुपौल जिला के कुछ गाँवों मौरा, झहुरा, डेंगराही, पिपराही, भुलिया, औरही, बलथरवा, ढ़ोली, कटैया, दिघिया, दुधैला और मैनही था। कालान्तर में कोशी नदी की विभीषिका व कटाव के कारण एवं जीविकोपार्जन हेतु ये लोग विस्थापित होकर भपटियाही, सरायगढ़, नारायणपुर, पिपरा, जहलीपट्टी, सदानंदपुर, वेरदह, टेंगरी, करजाईन, वायसी, शिवनगर, परमानंदपुर, विशनपुर, बलुआ, मटियारी, ललितग्राम, रामपुरा, दिनबन्धु, भटनिया, बसावनपट्टी, दहगम्मा, बेला, डमारी, बभनी एवं सुपौल, सहरसा, पूर्णिया जिला अन्तर्गत सिमलगाछी, सिमरिया, चक, रामदैली एवं सरसौनी तथा अररिया जिला के बनगामा, गरिया, कुसियार–गाँव, कोदरकट्टी, जागीर–हलहलिया, मधुलता एवं कुड़वा–लक्ष्मीपुर गाँवों में बसे हुए हैं। जिसके आँकड़े तातिका (1) में दर्शाया गया है।

तालिका 1: घरों की कुल संख्या

क्र० सं०	जिला	प्रखण्ड	अनुमण्डल	घरों की कुल संख्या (H.H)	कुल जनसंख्या
01.	सुपौल	सुपौल	सुपौल सदर	153	801
		निर्मली	निर्मली	496	2458
		छातापुर	त्रिवेणीगंज	395	2040
		बसंतपुर	बीरपुर	305	1510
		राघोपुर	बीरपुर	362	1740
		भपटियाही	सुपौल सदर	580	2642
02.	मधुबनी	लौकही	फुलपरास	221	1279
03.	सहरसा	कहरा	सहरसा सदर	09	50
04.	अररिया	अररिया	अररिया सदर	228	1008
		फारबिसगंज	फारबिसगंज	135	587
		रानीगंज	फारबिसगंज	65	278
05.	पूर्णिया	पूर्णिया पूर्व	पूर्णिया सदर	72	301
		कसवा	पूर्णिया सदर	58	259
		जलालगढ़	पूर्णिया सदर	155	625
कुल				3234	15578

उपरोक्त तालिका (1) से स्पष्ट है कि, इस जाति की सबसे अधिक जनसंख्या (11,191) सुपौल जिला में है, जबकि सहरसा जिला में सबसे कम 50 व्यक्ति ही है। वहीं अररिया में 1873 और पूर्णिया जिला में 1185 व्यक्ति निवास करते हैं। कुल पाँच जिलों और 14 प्रखण्डों में 3234 परिवारों की संख्या के साथ कुल राजधोबी जाति की आबादी लगभग 15578 है। वहीं पाँच जिलों में स्त्री–पुरुष अनुपात के आधार पर आँकड़े निम्न (तालिका–2) प्रकार है–

तालिका 2: स्त्री–पुरुष अनुपात के आधार पर आँकड

क्र० सं०	जिला	कुल घरों की सं०	पुरुष		महिला		कुल जनसंख्या
			कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	
01.	मधुबनी	221	649	50.7	630	49.3	1279
02.	सुपौल	2291	5961	53.3	5230	46.7	11191
03.	सहरसा	09	24	48.0	26	52.0	50
04.	अररिया	428	1020	54.5	853	45.5	1873
05.	पूर्णिया	285	657	55.4	528	44.6	1185
कुंल		3234	8311	53.4	7267	46.6	15578

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजधोबी जाति की कुल जनसंख्या 15578 में 53.4 प्रतिशत पुरुष और 46.6 प्रतिशत महिला है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के सुपौल, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया एवं अररिया जिलों में निवास करने वाले राजधोबी जाति का समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय अध्ययन है। इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. राजधोबी जाति के इतिहास के बारे में पता लगाना।
2. यह जाति धोबी से अलग होकर राजधोबी क्यों और कैसे बना? इनकी जानकारी प्राप्त करना।
3. इस जाति का पेशा क्या है इसका पता लगाना।
4. राजधोबी किस गोत्र को मानते हैं एवं किन–किन उपनामों को अपनाते हैं इनकी जानकारी प्राप्त करना।
5. इस जाति को कब अत्यंत पिछड़ा वर्ग मे सम्मिलित किया गया इनका पता लगाना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र सुपौल, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया एवं अररिया जिला है। जिसमें प्राथमिक आँकड़े के रूप में 20–20 व्यक्तियों का हर जिले से प्रतिदर्श का प्रयोग करते हुए कुल 100 व्यक्तियों से साक्षात्कार–अनुसूची (Interview-Schedule) एवं अर्द्ध–सहभागी अवलोकन विधि के द्वारा तथ्य संग्रह किया गया है, इसके अलावे सामूहिक परिचर्चा तथा अनौपचारिक तौर पर समुदाय के सदस्यों से बातचीत द्वारा गुणात्मक अध्ययन किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data) के रूप में प्रकाशित शोध सामग्रियों, पुस्तकों, सरकारी सांख्यिकीय सूचनाओं व जनगणना, समाचार–पत्रों इत्यादि से भी तथ्य संकलित किये गये है।

तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण

भारतीय इतिहास के पन्नों में राजधोब/राजधोबी जाति की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम लिखित अभिलेख 1872 में मिलता है। जब भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के तत्वाधान में H. Beverley द्वारा Census of Bengal सम्पन्न हुआ था। Report of the census of Bangal (1872) में Mr. Wyer बिहार के भागलपुर डिविजन के राजधोब/राजधोबी जाति की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखे हैं–

Rajdhob are in Bhaugulpore and Purneah merely. They have a legend that they formerly washed a certain Rajah's clothes, and that on his demise having no more clothes to wash, they took to cultivation, which they pursue at present. They do not now wash clothes, or marry or eat with those Dhobis who do.

Mr. Wyer का कथन है कि राजधोब केवल भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में निवास करते हैं। (उस समय के भागलपुर डिविजन के अन्तर्गत वर्तमान में मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया एवं अररिया जिला सम्मिलित है। जहाँ अभी भी इन्हीं पाँच जिलों में राजधोबी सदियों से निवास करते आ रहे हैं) इनके उत्पत्ति संबंधी एक किंवदंती है कि राजधोबी किसी राजा का कपड़ा धोते थे, जब

राजा की मृत्यु हो गई, तब कपड़ों की कमी होने के फलस्वरूप, ये लोग जीविकोपार्जन हेतु मजदूरी तथा खेती करने लगे, और जब ये लोग कृषक/कृषक मजदूर बने, तब धोबियों के साथ खान–पान, विवाह व अन्य रिश्तों से परहेज करने लगे, लेकिन Mr. Wyer आगे यह भी लिखे हैं कि जो धोबियों के साथ खान–पान व विवाह करना चाहते थे, वे करते थे।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजधोबी धोबी के ही वंशज हैं। यानि इनके पूर्वज धोबी ही है तथा यह 'धोबी' का ही एक 'उपजाति' है, जो सदियो पहले किसी राजा का कपड़ा धोता था। इसी कारण ये अपने नाम में राज उपसर्ग लगाकर अपने को राजधोब/राजधोबी कहने लगे। इसका मुख्य कार्य राज परिवार के कपड़े धोने, रंगने, इस्त्री करने से संबंधित था, कालान्तर मे ये लोग संस्कृतिकरण के कारण अपने पेशों में परिवर्तन कर अन्य कार्य भी करने लगे।

राजधोबी धोबी से अलग होकर बना है, ये समुदाय धोबी का ही एक डिविजन है, जिनकी पुष्टि Francis Buchanan की पुस्तक An Account of the District of Purnea in 1809-10 से भी होती है। इस पुस्तक में निम्न पंक्ति उद्धृत है–

The washerman..... They have separated into many divisions. In the first place, a good many will have no communion with those who wash and have be taken themselves to the plough.....

Another class has separated itself from those who wash and these people call themselves Rajdhobi or Saphkar. They consider themselves higher than the washer's and live by making mats and cultivating the ground.

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि धोबी कई डिविजनों में बँटे हुए हैं, पहले स्थान पर वैसे धोबी हैं जो हल चलाने (जोतने) या खेती करने लगे हैं, जिनका सम्पर्क कपड़ा साफ करने वाले धोबियों के साथ नहीं है। यहाँ निश्चित रूप से राजधोबी के संदर्भ में कहा गया है, साथ ही वे आगे एक जगह लिखते हैं कि एक और वर्ग ने खुद को धोने वालों (धोबी) से अलग कर लिया है और ये लोग खुद को राजधोबी या बुनकर कहते हैं। वे खुद को धोबी से ऊँचा समझते हैं और चटाई बुनकर व जमीन में जुताई कर/खेती कर जीवन यापन करते हैं।

प्रस्तुत अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि किसी–न–किसी राजा के दरबार में इनके पूर्वज या वंशज कपड़ा धोने का कार्य करते थे। वही धोबी अपनी उच्च आकांक्षा एवं जाति संस्तरण मे अस्पृश्य जाति की सामाजिक स्तर से अपने को उपर उठने हेतु, राज शब्द जोड़कर राजधोबी बना, ताकि धोबियों से उच्च सम्मान व मर्यादा समाज में मिल सके। जिनकी पुष्टि H.C.N. Stevenson (1957) के उत्कृष्ट लेख Caste (Indian) से भी होता है। स्टवेन्सन ने लिखा है, कि भारत में कुछ उठती हुई जातियों ने अपने लिये सामान्यतः उँची प्रतिष्ठा वाला नाम अपना लिया। प्रारम्भ में अपने पुराने नाम के साथ उसे जोड़कर या बाद में पुराने नाम को छोड़कर जैसे कुछ बिहार के धोबी ने प्रारम्भ में राज शब्द जोड़कर राजधोबी बना। इनका मुख्य कारण स्टवेन्सन साहब भारतीय समाज में शुचिता और प्रतिष्ठा को मानते हैं। जिनके फलस्वरूप अनेक निम्न जातियों, जैसे– भर–राजभर, जोगी–जांगीर्ण, हजाम–शर्मा, मल्लाह–केवट, कलवार– जायसवाल इत्यादि ने अपने नाम में बदलाव कर सामाजिक प्रतिष्ठा, पवित्रता और अपवित्रता, उच्चता व निम्नता के बंधनों से उँचे उठने का प्रयास किया है, जिनमें एक राजधोबी भी है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमों (L. Dumont) ने अपनी पुस्तक Homo Hierachicus (1966) में भारतीय समाज के जातियों को शुद्ध और अशुद्ध के मूल्यों की व्यवस्था कहीं है। इनके अनुसार एक ओर एक जाति ब्राह्मण पूजा–पाठ करती है, वह शुद्ध है, वहीं दूसरी ओर, वे जाति अछूत है, जो गंदा कपड़ा धोती है। मतलब है वे जातियाँ जो शुद्ध काम करती है, संस्तरण में ऊँची है, और जो अशुद्ध काम करती है, वे निम्न है। यही अशुद्ध व अछूत जैसी व्यवस्था ने निम्न जातियों को अपने नामों में बदलाव करने को विवश किया, ताकि समाज में उन्हें भी उच्च प्रतिष्ठा और सम्मानित व मर्यादित जीवन जीने का अवसर मिल सके।

भारत में ऐसे अनेक अध्ययन हुए हैं, जिसमें प्रमुख विलियम एफ० रोव (William F. Rowe) साहब का है, जिन्होंने 1891 से 1931 के जनगणना का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उत्तर भारत में निम्न जातियों द्वारा अपनी जाति का नाम बदलकर सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति रही है। उन्हे उस दौर में जनगणना कमिश्नर को ऐसे अनगिनत पत्र प्राप्त होने का साक्ष्य मिला, जिसमें उनकी नवीन जाति का उल्लेख करने का आग्रह होता था। जैसे –

	पुरानी जाति	नवीन जाति
1.	लोहार	पांचाल ब्राह्मण
2.	बारिया कोली	ठाकुर
3.	पुइजारा (धुनिया)	आनुक पठान
4.	जुलाहा	पन्नी पठान
5.	कुर्मी	कुशवाहा क्षत्रिय

विलियम रोव साहब के अध्ययनों से भी प्रमाणित होता है कि कुछ निम्न जातियाँ अपनी उच्च प्रतिष्ठा पाने हेतु अपने नामों में राजधोबियों की तरह बदलाव किए हैं। अब सवाल उठता है कि राजधोबी कब, कहाँ और किस राजा का धोबी था?

अध्ययनकर्त्ता के अनुसार भारतीय इतिहास में किसी भी राजाओं के कालखण्ड (ई० सन्) के अनुसार धोबियों का इतिहास उपलब्ध नहीं है यही कारण है कि उस काल के महज कुछेक सौ आबादी वाले 'राजधोबी' का विवरण इस्वी सन् के अनुसार मिलना अत्यंत कठिन है।

यद्यपि अध्ययन के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे कहा जा सकता है कि ये लोग दरभंगा महाराज के किसी शासकों का धोबी रहे हैं। दरअसल इनके बहुत सारे कारण हैं, सबसे पहली बात यह है कि यह जाति भारत के मिथिला के नाम से जाने जानेवाले भूभाग में ही निवास करती है, जहाँ भारतीय साहित्यिक स्त्रोतों में अत्यन्त प्राचीन काल से अनेक राजाओं ने राज किया है। यहाँ राजा जनक से लेकर 75 ई०पू० के लगभग वज्जि महासंघ, उसके बाद कर्नाट वंश (1080 ई० से 1324 ई० तक) जिसका पहला राजा नान्यदेव था, इसके बाद मल्लदेव और गंगदेव (1147 ई० से 1187 ई० तक) जो मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी में विशाल गढ़ बनवाया था, और इनके अन्तिम शासक राजा हरिसिंह देव (1303 ई० से 1324 ई० तक) जो मुसलमानों के आक्रमण के कारण नेपाल पलायन कर गया था। उसके बाद करीब 30 वर्षों तक मिथिला के राजनीतिक मंच पर अराजकता तथा नृशंसता का ताण्डव होते रहा। सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के प्रथम बंगाल आक्रमण के समय मैथिल ब्राह्मण ओइनवार वंश (ठाकुर) लगभग 1353 ई० से 1526 ई० तक शासन किये। ओइनवार वंश के करीब 30 वर्षों बाद अकबर की कृपा से खण्डवाल कुल (दरभंगा महाराज) यहाँ का शासक बना। इस राज की स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने 16 वीं सदी के शुरुआत में की थी। जिसके प्रथम शासक संस्थापक श्री महेश ठाकुर (1556 ई० से 1569 ई० तक) थे। इनके अंतिम शासक महाराजा बहादुर सर श्री कामेश्वर सिंह थे, जिनका 1960 ई० में एक उत्तराधिकार का नाम लिए बिना निधन हो गया। इस प्रकार दरभंगा राज के शासन का अंत हो गया। इन्हीं कुछ शासकों के कपड़ा धोने का कार्य ये लोग करते थे।

दूसरा, ये लोग दरभंगा महाराज के कृपापात्र होने के कारण उन्हीं के भूमि (जमीन) व क्षेत्र में बसे हुए थे एवं कइयों को दान स्वरूप जीविकोपार्जन हेतु जमीन मिली थी तथा स्वतंत्रता के बाद ये लोग कुछ जमीन अपने नामों से खरीदा या बंदोबस्त करवाया।

यही कारण है कि राजव्यवस्था समाप्त होने के कारण ये लोग खेती, खेतिहर मजदूर एवं चटाई बुनने आदि पेशा से जुड़कर अपना गुजर–बसर करने लगे।

तीसरा, यदि ये लोग दूसरे राज्य के शासकों का धोबी होता, तो इनकी भाषा, संस्कृति, रहन–सहन, रीति–रिवाज, पर्व–त्योहार आदि अलग होता।

चौथा, यदि ये लोग दूसरे राज्यों से आया होता या दूसरे राज्यों के शासकों का धोबी होता, तो उस राज्य मे भी राजधोबी नामक जाति मौजूद होती, लेकिन वर्तमान मे बिहार के वृहद् मिथिला क्षेत्र के अलावे कहीं भी इस जाति के नाम का कोई दूसरा समुदाय नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि राजधोबी दरभंगा महाराज के शासकों के धोबी रहे हैं। जिनकी पुष्टि K.S. Singh की पुस्तक India's Communities (N-Z) (1998) से भी होती है, जिसमें लिखा गया है – A little known community of north eastern Bihar..... They consider Rajdhop as the washermen of the Maharaja of Darbhanga.

उपरोक्त अभिलेखों से सिद्ध होता है कि राजधोबी निश्चित रूप से दरभंगा महाराज के शासकों/राजाओं का ही धोबी है, जो Mr. Wyer के इस जाति की उत्पत्ति संबंधी विचार को भी सही सिद्ध करता है।

अध्ययन क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि, राजधोबी समुदाय के लोगों के पास संकट तब आया जब मिथिला की राजतंत्र व्यवस्था अराजकता की स्थिति में थी। चूँकि उस स्थिति में परम्परागत व्यवसाय पर आश्रित होकर जीना दुर्भर हो गया, तब ये लोग छोटे–छोटे समुदायों में उस समय भागलपुर डिविजन के जिला अन्तर्गत कोशी नदी के तट पर दरभंगा महाराज के निर्जन भूमि पर धीरे–धीरे बसते चलते गये। वही अधिकांश लोग चटाई बुनकर, कुछ पशुपालन (बकरी, भैंस) और मजदूरी कर जीविकोपार्जन करने लगे। पशुपालन हेतु चारागाह के रूप में पर्याप्त भूमि व वन था, उसी वन में पटेर व मूँज की उपलब्धता से चटाई बुनकर ये लोग नजदीक के बाजारों में बेचने लगे। इनका मुख्य पेशा चटाई बुनना (Mat Maker) रहा। जिसकी पुष्टि Durga Prasad Bhattacharya की अभिलेख Report of the Population Estimates of India, Vol. II (1801-1810) में और फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन (1928) की पुस्तक में भी राजधोबी जाति को Mat Maker and Cultivator के रूप में उल्लेख किए है।

तथ्य संकलन के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि 18वीं शताब्दी में किसी भी राजधोबी के नाम से कोई जमीन उपलब्ध नहीं है, ये लोग राज दरभंगा के जमीनों में ही बसे एवं मजदूरी करते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि 1872 एवं 1891 की जनगणना में ब्रिटिश जनगणना अधिकारी राजधोबी को कृषक वर्ग में क्यों रखा ?

इतिहास मे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जब शूद्र या निम्न जाति समूहों को कृषक कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, इससे पहले धोबी समाज खेती और पशुपालन ही किया करते थे। ह्वेनसांग ने भी स्पष्टतः इस बात का उल्लेख किया है कि शूद्र किसान है। वहीं स्कंद पुराण मे भी शूद्रों को अन्न देनेवाला तथा गृहस्थ कहा गया है। इसी प्रकार फारसी में रजक (धोबी) का अर्थ रोजी–रोटी देने वाला बताया गया है। ब्रिटिश मानवशास्त्री एफ०जी० बैली (F.G. Bailey, 1957) ने उड़ीसा के खोंड (Khonds) आदिवासियों को, Ýयूरर हैमेनडोर्फ (Furer Haimendorf, 1948) ने आदिलाबाद के राज गौंड (Raj-Gond) जनजाति को एवं एस.सी. राय (1912) ने बिहार के उरॉव और मुण्डा जनजातियों को भी कृषक कहा है। यानि निम्न जाति व जनजातियों को कृषक कहने और कृषक वर्ग में रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। शायद यही वजह है कि ब्रिटिश विद्वान राजधोबी को भी कृषक वर्ग के अन्तर्गत रखा है।

परन्तु इनके कारणों का विश्लेषण दो संदर्भों के अन्तर्गत किया जा सकता है, पहला, उन समाजशास्त्री व मानवशास्त्रियों के संदर्भ के अनुसार, जिन्होंने अपने अध्ययन के फलस्वरूप सिद्ध किया है, कि कुछ पेशा ऐसे है जो सभी जातियां अपना सकती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जी०एस० घुर्ये (G.S. Ghurye) के अनुसार प्रायः प्रत्येक जाति कुछ पेशों को अपना परम्परागत पेशा मानती है, और उसे छोड़ना उचित नहीं समझा जाता। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित के काम को और धोबी कपड़ा धोने के काम को ही करना ठीक समझते हैं। साधारणतया ऐसा ही होता है, पर कुछ ऐसे पेशे भी है, जिन्हें प्रत्येक जाति चुन सकती है, जैसे–खेती, व्यापार एवं सेना की नौकरी आदि। घुर्ये के अध्ययनों से स्पष्ट है कि खेती सभी जातियां कर सकती थी। खेती करने में कोई परंपरागत प्रतिबंध या नियम नहीं था, यही कारण है कि राजधोबी भी अपने जीविकोपार्जन हेतु अपने परम्परागत पेशा के अतिरिक्त कृषक कार्य करने लगे।

ऐसे अनेक अध्ययन हुए हैं, इसमें ज्योतिर्मयी शर्मा (1951) पश्चिमी बंगाल का एक गाँव जो हुगली जिले में है, वहां के अशुद्ध जातियां वाग्दी, धोबा (धोबी) मोची, चुनुड़ी, डोम, दूले, हाढ़ी के बारे में अपने अध्ययन में पाया कि उपरोक्त सभी जातियां अपनी जाति के पेशे के साथ–साथ खेती का काम करती है, और कुछ लोगों ने तो अपनी जाति का पेशा एकदम ही छोड़ दिया है। इनमें से ज्यादातर लोग बँटाईदारी पर या दिहाड़ी पर खेती का काम करते है। अनेक परम्परागत व्यवसायों से होनेवाली आय काफी नहीं होती, इसलिए उन्हें खेती का काम करना ही पड़ता है। इन अध्ययनो से सिद्ध होता है कि राजधोबी में भी यही स्थिति हुई। इन्हीं के फलस्वरूप ये लोग कृषक मजदूर व बँटाई पर कुछ खेती किया करने लगे, और इसी कारण राजधोबी को कृषक वर्ग के अंतर्गत रखा गया।

दूसरा, ब्रिटिश जनगणना अधिकारियों के संदर्भ के अनुसार राजधोबी को कृषक वर्ग में रखने का वजह या कारण उनके (1872) निम्न डायग्राम के द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है।

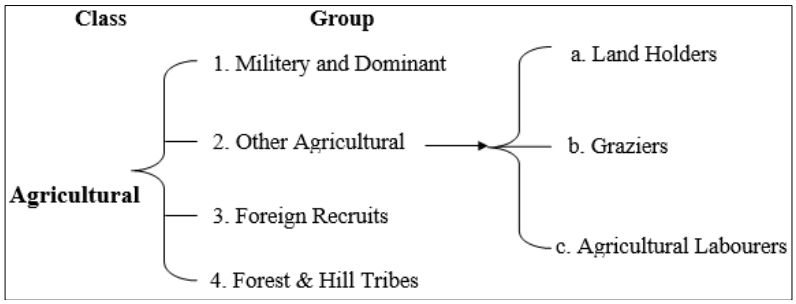

Source: Census of India 1872, 1881, 1891

Fig 1: Classification for Castes, Tribes and Races

उपरोक्त डायग्राम में ब्रिटिश विद्वान भारतीय समुदायों (जाति, जनजाति एवं प्रजाति) को चार समूहों में वर्गीकृत किये है। पहला वर्ग कृषक समूहों का है, जिसके अन्तर्गत सेना और प्रमुख, भू–मालिक, के साथ–साथ चरवाहा, कामगार, खेतिहर मजदूर या मजदूरी करने वाले अन्य श्रमिकों के अलावे जंगली व पहाड़ी जनजातियों को भी इस वर्ग में रखा गया है।

तथ्य संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि 1872 ई० में किसी भी राजधोबी के पास अपना जमीन नहीं था, यानि ये लोग भू मालिक नहीं थे, लेकिन राजधोबी दरभंगा महाराज के भू–भागों में हल चलाने, कृषक मजदूरी करने, और इसके साथ–साथ कुछ लोग पशु–पालन (भैंस, बकरी) के कार्य भी करते थे। यही कारण है कि ब्रिटिश विद्वान राजधोबी को कृषक वर्ग के समूहों में रखा है। जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है।

लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग भू–मालिक नहीं थे? बल्कि कृषक मजदूर व चरवाहा या पशुपालन का ही कार्य करते थे। अध्ययनकर्ता उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि व प्रमाणिकता हेतु 2001 की आर्थिक वर्ग के आधार पर जनगणना के आँकड़े को निम्न (तालिका–3) रूप में प्रस्तुत किया है।

तालिका 3: Percentage Distribution of workers in four economic categories

Economic Category	All Sc	Chamar	Dusadh	Musahar	Dhobi	Pasi
Cultivators	7.9	7.9	10.3	2.7	14.8	12.3
Agricultural Labourers	77.6	80.2	75.9	92.5	48.1	46.5
Hi workers	3.3	2.1	1.6	0.8	9.6	12.2
Other Workers	11.2	9.8	12.2	4.0	27.5	29.0
Total	100	100	100	100	100	100

Source of the Registrar General, India – 2001

Data Highlight: The Scheduled Castes, Census of India 2001.

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत के (2001) कुल अनुसूचित जातियों में 7.9 प्रतिशत आबादी Cultivators हैं, यानि खेती कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जबकि 92.1 प्रतिशत व्यक्ति कृषक मजदूर या अन्य श्रमिकों के कार्य में लगे हुए हैं। इन आँकड़ों में धोबी के 14.8 प्रतिशत व्यक्ति कृषक हैं जबकि 85.2 प्रतिशत व्यक्ति आज भी खेतिहर मजदूर व अन्य श्रमिकों के कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में आज से 200 वर्ष पहले 1872 में राजधोबी की क्या स्थिति रही होगी, इसे उक्त आँकड़ों से समझा जा सकता है।

प्रस्तुत आँकड़ों व तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि अतीत में राजधोबी जाति परम्परागत पेशों के अलावे कृषक मजदूर व श्रमिकों के साथ–साथ अन्य कार्य कर जीविकोपार्जन करते थे।

राजधोबी कश्यप गोत्र के मानने वाले हैं, तथा अनेक उपनाम/टाइटल जैसे–विश्वास, माझी, ईसर, लौगी, दास, प्रसाद, गामी, संत, पाईक, कापैर, खड़गा, राउत, मंडल इत्यादि को लगाते हैं। इन उपनामों के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यह अनेक जातियों के सम्मिश्रण से बना है। क्योंकि यहां सवाल उठता है कि, ये लोग धोबी है ? तो धोबी के सभी उपनाम इनके नामों में रहना चाहिए ? लेकिन धोबी के सिर्फ तीन उपनाम राउत, दास, प्रसाद ही अभी प्रचलन में है। राजधोबी के अन्य सभी उपनाम कहाँ से आये, और कैसे अपनाये? इनकी जानकारी इनलोगों के पास उपलब्ध नही है।

अध्ययनकर्त्ता इस हेतु H.H. Risley की पुस्तक Tribes and Castes of Bengal (1891) (इन्होंने भारत के लगभग तीन हजार जातियों के इतिहास के बारे में वर्णन किये हैं) का अध्ययन कर, यह ज्ञात करने का प्रयास किया है कि राजधोबी अपने उपनामों को किन–किन जातियों से अपनाए हैं।

जो निम्न तालिका–(4) से स्पष्ट होता है–

तालिका 4: Caste

Sl. No.	Title	Caste
1.	Bishwas/Biswas	Barai, Baraji, jugi, yogi, Chandal, Chasadhoba, Kewat, Kaibartta, Kumhar, Magar, Nai, Bengali
2.	Mandal	Barai, Baraji, Kapali, Tanti, Chandal, Goala, Kaibartta, Kurmi, Nai, Bania, Teli, Santhal
3.	Marar	Chamar, Gareri, Mallah, Kewat, Kumhar, Kurmi, Tanti, Rajbansi
4.	Das	Barai, Chandal, Dhoba (Dhobi) Tanti, Kamar Lohar, Kharwar, kaibartha, kochh, Kumhar, Tharu
5.	Paik	Chasadhoba, pod
6.	Gaim/Gami	Kumhar
7.	Isar	Doms, Dusadh
8.	Sant	Bansphor sub caste of Doms
9.	Kapar/ Kapair	Kewat, Khatri, kumhar, Dhusia, Chamar, Rajput
10.	Kargaha/Kharga	Koiris, Maghaya sub caste
11.	Raut	Amats, chamar, dhanuks, dosadh, goalas, kadars, Mali, Nunias, Bind, Dhobi, Dom, Kahar, Lohar
12.	Parmanivik/Parmani	Bagdi, Bauri, Chandal, goala, Jolha, Nai, Tanti, Kurmi, Teli
13.	Maghi/Manjhi	Asura, Lohra, Bhuiya, Kapali, Chandal, Dusadh, Goala, Mallah, Jolha, Mushhar, Suri, Tanti

उपरोक्त उपनामों/टाइटल के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, ये लोग अधिकांशतः वैसे उपनामों को अपनाया है, जो धोबी से उच्च जातियों के उपनाम है। इसके पीछे कारण यही था, कि इन उपनामों को अपनाने से निम्न या राजधोबी जाति होने का पता न चल सके, और समाज में इन्हें अछूत या निम्न जाति ना समझे। वैसे इनमें से कुछ उपनामों को धोबी के समतुल्य जातियां भी अपनाते हैं, लेकिन सदा ही ये लोग उच्च होने का दावा करते आ रहे हैं। यही कारण है कि ये लोग जाति के नामों में परिवर्तन के साथ–साथ उपनामों में भी समयानुसार परिवर्तन किये हैं।

अध्ययन के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि, ये लोग अपने जाति के नामों को अन्य शहरों व समाजों में छुपाते है। इनके जाति का नाम पूछने पर या तो उच्च जाति या उपनामों के आधार पर जातियां बता देते हैं, ताकि लोग इन्हें उच्च जाति समझें। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं कि स्वतंत्रता के बाद इस जाति के कुछ लोग अपने उपनामों या टाइटलों के बदले 'सिंह' भी लिखवाना शुरू

किये, ताकि अन्य जाति के लोग इन्हें राजपूत समझे तथा इसके साथ छुआछूत का भाव नहीं रखे।
वैसे आज किसी भी जाति का उपनाम विशिष्ट नहीं रहा है, कोई भी जाति किसी भी उपनामों को अपना सकता है। उपनामों के आधार पर पता करना मुश्किल है कि व्यक्ति किस जाति का है। संभवतः यही कारण रहा है कि ये लोग विभिन्न जातियों के उपनामों को अपनाया, ताकि राजधोबी जैसे शुद्र व अछूत जातियों का दर्जा खत्म हो सके।
भारतीय इतिहास के प्रमाणिक अभिलेख 1872, 1881, 1891 ई0 के जनगणना में किसी–न–किसी रूप में राजधोबी जाति का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन 1901 के बाद के जनगणना में राजधोबी जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। हैरानी तो तब हुई, जब 1931 की जातिगत जनगणना में भी राजधोबी जाति का कहीं जिक्र नहीं है। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि 1901 से पहले की जनगणना में ब्रिटिश अधिकारी इसे धोबी, राजा का धोबी और कृषक वर्ग के तहत वर्गीकृत किया है, लेकिन 1931 में इस जाति का नाम न होना, यह प्रमाणित करता है कि इसे अपनी मूल जाति धोबी के साथ संलग्न कर इनकी गिनती कर दी गई। यही वजह है कि राजधोबी को अलग से जातियों की सूची में नहीं रखा गया। जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतंत्रता के बाद देखा गया, जब 1950 में सामाजिक एवं शैक्षणिक (Socially and Educationally Backward) पिछड़ापन के आधार पर राज्य सरकार पर जाति एवं जनजातियों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी आई, तो बिहार सरकार ने Act 1956 के तहत् SC, ST एवं पिछड़ा वर्ग की सूची बनाई। इस सूची में SC के 20 जाति, ST में 28 और Backward Classes Annexture-I में 77 जातियों को शामिल किया गया, लेकिन विचारणीय तथ्य यह है कि इन तीनों सूची में राजधोबी जाति को कहीं नहीं रखा गया।
जिनकी प्रमाणिकता की पुष्टि The Bihar Legislative Assembly Debates (6-03-1956) के अल्प सूचना प्रश्नोत्तर के आधार पर भी होता है, जिसमें राजधोबी जाति के विद्यार्थियों के आरक्षण हेतु पूछा गया सवाल निम्न रूप में उद्धृत है।

Privilege to rajdhobi Caste Students

268. Shri Kamta Prasad Gupta: Will the Chief Minister be pleased to state

1. Whether it is a fact that government is considering to include Rajdhobi caste inhabiting the districts of saharsa and purnes in the scheduled caste list or in Backward Classes Annexure-I.
2. Whether it is a fact that the poor and deserving students of the said caste are being deprived of the opportunity of having their benefits which government is giving to the backward classes in Annexure-I to the Scheduled Castes.
3. Whether government is going to issue instructions that the students of this particular caste Rajdhobi should be given all the facilities that are being given to the above classes or castes.
4. Do government propose to take action in this regard immediately?

उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने कहा कि इन चारों विषयों पर सरकार विचार कर रही है। इन प्रश्नों में स्पष्टतः कहा गया है कि, इस जाति को SC या BC-I में कहा रखा जाय। सम्भवतः 1956 के बाद ही इस जाति को पिछड़ा वर्ग (I) में रखा गया।
अध्ययन के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि राजधोबी को 1960–62 से पूर्व धोबी जैसी सुविधाएं मिलती थी। अध्ययनकर्त्ता ने इसकी प्रमाणिकता हेतु इस समुदाय के दो व्यक्ति श्री गोरख लाल विश्वास (मौरा निवासी, वर्त्तमान में सहरसा विस्थापित) एवं श्री रविशंकर राउत, जो सुपौल जिला के निर्मली प्रखण्ड अन्तर्गत मौरा ग्राम का निवासी है, से वैयक्तिक अध्ययन पद्धति (Case Study Method) के द्वारा ज्ञात हुआ कि, इन दोनों व्यक्ति को 1961–62 में विलियम्स हाई स्कूल सुपौल (Williams High School, Supaul) के वर्ग–नवाँ एवं दसवाँ में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति (Scholarship) का लाभ 10 रुपया प्रति माह मिला था। बाद के वर्षो में किस आधार पर, और क्यों इस जाति को पिछड़ा वर्ग (I) में रखा गया, इनकी जानकारी इन जाति के सदस्यों को नहीं है। जबकि आज भी ये लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो कई अनुसूचित जातियों से भी निम्न स्थिति में है। फिर भी इसे वर्तमान में बिहार के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 70 पर दर्ज है जबकि भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची के क्रमांक 106 (Resolution No. and Date 12011/68/93, BCC(C) dt. 10.09.1993) पर है।
तथ्य संकलन के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि इनलोगों के द्वारा समय–समय पर राज्य व भारत सरकार से मांग की जाती रही है कि, इसे मूल जाति 'धोबी' को मिलने वाली अनुसूचित जाति का लाभ एवं दर्जा मिले। इस हेतु बिहार सरकार ने अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना के द्वारा 'राजधोबी जाति का नृजातीय अध्ययन (2018)' कराकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुशंसा प्रेषित की गई, परंतु सरकार के द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्रवाई किये जाने की बात सामने नहीं आई।

निष्कर्ष

भारत के बिहार राज्य में निवास करने वाली राजधोबी जाति की उत्पत्ति भारत की वर्ण एवं जाति व्यवस्था से उपजी अस्पृश्यता के दंश से उबरने की असफल कोशिश का एक उदाहरण है जो राजा, रजवारों खासकर दरभंगा महाराज के वंशजों के यहाँ धोबी का काम करने के कारण अपने को राजधोबी कहना शुरू किया। वस्तुतः राजधोबी धोबी की उपजाति है एवं कश्यप गोत्र के मानने वाले हैं। इनकी मूल कोटि अनुसूचित जाति था, परन्तु 1960 के बाद सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यन्त पिछड़ेपन एवं जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी एवं विभिन्न पेशों को अपनाने वाली इस जाति को, बिना किसी तथ्यों एवं स्थितियों का आकलन किये बगैर अत्यन्त पिछड़ावर्ग (1) की आरक्षण की सूची में सूचीबद्ध कर दिया गया है। सदियों से शोषित, पीड़ित व अस्पृश्य राजधोबी आज तीव्र संक्रमण के दौर से गुजरते हुए जीवन बसर कर रहा है। कोशी नदी के कटाव के कारण, विस्थापन, भूमि, आवास, गरीबी, बेरोजगारी, और अशिक्षा इत्यादि अनेक समस्याओं से ये लोग आज भी जूझ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अनुसूचित जातियों से भी निम्न परिस्थिति व अल्प आबादी एवं राज उपसर्ग लगाने से धोबी से भिन्न माने जाने के कारण अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं हो पाया है, जो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16 एवं 46 के तहत् अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किये जाने जैसा प्रतीत होता है, जो न्यायोचित नहीं लगता।

References

1. Buchanan Francis. An Account of the District of Purnea in 1809-10, Government Printing Bihar and Orissa Research Society, 1928.
2. Bhattacharya D. Report of the Population Estimates of India, Govt. of India, New Delhi. 1989;2:1801-10.

3. Bhattacharya D, Ram Deb Ray. A Notes on Agricultural ways in Bengal and Bihar 1793-1972 (In Social Scientist), 1977, 61.
4. Beverley H. Census of Bengal, Secretariat Press Calcutta, 1872.
5. Census of India. District Census Report Purnea, 1891.
6. Dhurye GS. Caste and Class in India, Popular Book Depot, Bombay, 1907.
7. Dutta, Shashi Bhushan. The list of schedule castes, Tribes and Backward Classes, Tripathi Brothers, Salempur, 1962.
8. Dumont L. Homo Hierachicus, Paris, Gallimord, 1966.
9. Kumar, Rajeev K. Marginalization and Discrimination of Rajdhobi of Bihar: An Anthropological study, Mon in Society, Utkal University, Bhubaneshwar, 2018, 25.
10. Kumar, Ambuj. Bihar me Dhobi ki Upajati Rajdhobi: Ek Samaj Shastriye Vishleshan. International Journal of Applied Research, Delhi, 2021, 7(2).
11. Risley HH. The Tribes and Castes of Bengal. Ethnographic Glossary, Calcutta, printed at the Bengal Secretariat Press, 1891, 2.
12. Roy SC. The Mundas and Their Country, City Book Society, Kolkata, 1912.
13. Stevenson HCN. Caste (Indian) Enecyclopaedia, britanniea, printing, 1957, 4.
14. Srinivas MN. Caste in Modern India, And Other Essays, Asia Publishing House, London, 1962.
15. Singh KS. India's Communities (N-Z) People of India, National Series, Anthropological Survey of India, Oxford University Press, Delhi, Calcutta, Mumbai, 1998, 6.
16. The district of Purnea as surveyed by Buchanan in 1809-10 was identified by H. Beverley in the Census Report of 1872.
17. The Bihar Legislative Assembly Debates, Official Report, Secritariat Press, Patna, Bihar, 1956 March 6th, 9(21).